कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री अशोक कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झारडा करौली का स्थानान्तरण राउमावि मोगापुरा करौली किया गया था जिसके विरूद्ध शिवशंकर प्रजापति द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 667/2021 अशोक कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 667/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2021 द्वारा अपीलार्थी अशोक कुमार को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 3 सप्ताह में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 15 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। उक्तानुसार विभागीय आदेश दिनांक 26.02.21 द्वारा अपीलार्थी श्री अशोक कुमार द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा निस्तारित किया गया था।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा पुनः दिनांक 27.02.21 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी विषम एवं प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन एसीबीईओ–I,हिण्डोन करौली/राउमावि तालचीड़ी दौसा/राउमावि विशनपुरा करौली/राउमावि मंडोर फागी जयपुर/राउमावि निठार भरतपुर/राउमावि वेरू भरतपुर/राउमावि खखावली भरतपुर/राउमावि गुलपाडा भरतपुर में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई है।

अतः श्री अशोक कुमार के उक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GULPARA (217006), NAGAR (08070200110) BHARATPUR में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है वे तत्काल नवीन समायोजन/पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/अशोक कुमार/667/2021/201 दिनांकः 08.04.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक करौली।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री अशोक कुमार, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि मोगापुरा जिला करौली को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)